

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 2997
11 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए
egkj"V jkT; d iLrko

2997- Jh iirki jko ikfVy fp[kyhdi%

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केंद्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार की ओर से आवासन और शहरी कार्य क्षेत्र के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लंबित पड़े प्रस्तावों की कुल संख्या सहित प्राप्त और स्वीकृत किए गए प्रस्तावों की कुल संख्या कितनी है; और
- (ग) केंद्र सरकार द्वारा लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ग): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय अपने मिशनों/स्कीमों के अंतर्गत कवर किए गए शहरों और कस्बों के विकास में अपने मिशनों/स्कीमों के जरिए महाराष्ट्र सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सुविधा व सहायता प्रदान करता है। मिशनों/स्कीमों के अंतर्गत प्राप्त तथा अनुमोदित प्रस्तावों का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

'महाराष्ट्र राज्य के प्रस्ताव' के संबंध में दिनांक 11 जुलाई, 2019 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं0 2997 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने संपूर्ण मिशन अवधि के लिए महाराष्ट्र राज्य द्वारा प्रस्तुत 3,534.08 करोड़ रु. की राशि की केंद्रीय सहायता की प्रतिबद्धता सहित 7,759.32 करोड़ रु. की लागत की राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) को अनुमोदित किया है। अमृत के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के प्रस्ताव लंबित नहीं हैं।

स्मार्ट सिटीज मिशन

स्मार्ट शहरों का चयन चुनौती प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अखिल भारतीय चुनौती के दौरान विचार करने हेतु स्मार्ट सिटीज मिशन दिशानिर्देशों के अनुरूप अपने स्मार्ट शहर प्रस्ताव (एससीपी) प्रस्तुत किए। स्मार्ट शहर प्रस्तावों के मूल्यांकन के आधार पर, महाराष्ट्र के आठ शहरों - पिंपरी-चिंचवाड़, नासिक, ठाणे, सोलापुर, नागपुर, कल्याण-डोंबिविली, औरंगाबाद और पुणे का चयन स्मार्ट शहरों के रूप में विकास हेतु किया गया था। सरकार के पास महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू)

एसबीएम-यू के पांच घटकों के अंतर्गत वित्तपोषण हेतु प्राप्त सभी प्रस्तावों पर विचार कर लिया गया है और मिशन दिशानिर्देशों के अनुरूप महाराष्ट्र सरकार को 857.99 करोड़ रु. जारी किए गए हैं। राज्य सरकार का कोई भी प्रस्ताव एसबीएम(यू) के अंतर्गत लंबित नहीं है।

प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी

8,23,405 आवासों के लिए सभी 848 परियोजना प्रस्ताव, जिनमें 11,234.89 करोड़ रु. की केंद्रीय सहायता शामिल है, मंजूर किए गए हैं। राज्य सरकार का कोई भी प्रस्ताव पीएमएवाई-यू के अंतर्गत लंबित नहीं है।

मेट्रो रेल परियोजनाएं

सरकार ने महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे और नागपुर में कुल 137.15 कि.मी. लम्बी पांच मेट्रो रेल परियोजनाओं को अनुमोदित किया है। विगत तीन वर्षों के दौरान मुंबई, ठाणे, पुणे और नागपुर में राज्य से प्राप्त कुल 212.113 कि.मी. लंबाई के अन्य चार प्रस्तावों पर राज्य सरकार के साथ परामर्श किया जा रहा है। मेट्रो रेल परियोजनाओं की मंजूरी एक सतत प्रक्रिया है, जिसके लिए सभी हितधारकों से व्यापक विचार-विमर्श किया जाना आवश्यक होता है और इसलिए मंजूरी हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।